आईसीएमआर-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान
सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110077

राजभाषा ई-पत्रिका

अर्द्धवार्षिक (जनवरी-जून-2023)

अंक-4, वर्ष-2023

राजभाषा ई-पत्रिका

अंक-4, वर्ष - 2023

संरक्षक
डॉ. अनुप अन्वीकर
निदेशक

संपादक
डॉ. वंदना शर्मा
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादक मंडल
प्रशासनिक अधिकारी
श्रीमती मीनाक्षी भसीन
श्री रघुबर दत्त

विषय सूची **पृष्ठ सं.**

1. संरक्षक की कलम से 2
2. राजभाषा अधिनियम/नियम की जानकारी 3
3. वैज्ञानिक लेख मलेरिया : भारत के संदर्भ में 9
   (डॉ. अनुप अन्वीकर, निदेशक)
4. कर्मचारियों का पन्ना 12
   उत्तराखंड लोक-संस्कृति की पहचान "काफल"
5. संस्थान की गतिविधियां
   - प्रशिक्षण कार्यक्रम 15
   - उपलब्धियां 16
   - संस्थान में स्वास्थ्य सजगता संबंधी गतिविधियां 17
     - (क) मानसिक स्वस्थ्ता कार्यक्रम 17
     - (ख) संस्थान में योग दिवस 18
   - हिन्दी कार्यशाला 19
   - स्वच्छता संबंधी गतिविधियां 20
6. संस्थान में सेवा-निवृत्त एवं नई नियुक्तियां 23

राजभाषा ई-पत्रिका में प्रकाशित लेखों से पत्रिका के उल्लेखित सदस्यों की सहमति/असहमति होना अनिवार्य नहीं हैं, इसके लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं।

संरक्षक की कलम से :-

मुझे बेहद खुशी है कि हम एनआईएमआर की राजभाषा ई-पत्रिका का चौथा ई-अंक जनवरी-जून 2023 आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। राजभाषा ई-पत्रिका का प्रकाशन संस्थान में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने में सहायक होने के साथ ही पर्यावरण हितैषी की दिशा में भी एक पहल कहा जा सकता है। हालांकि ई-पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य तो भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम का अनुपालन ही है, किन्तु इसके साथ ही पत्रिका का ई प्रकाशन सरकार के डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते कदमों में भी सहायक कहा जा सकता है, यानि एक पंथ दो काज। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम सभी मिलकर राजभाषा हिन्दी के प्रति अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने में अग्रणी होंगे। सहज, सरल एवं बोलचाल की भाषा के प्रयोग की छूट हमें दी गई है। उसी के तहत हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अवश्य कामयाब होंगे।पत्रिका में हम राजभाषा नियम एवं अधिनियम की जानकारी अंक-दर-अंक इस आशय से प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि संस्थान के सभी कर्मी सहज, सरल भाषा में प्रस्तुत नियमों को जान एवं समझ सकें। पिछले अंकों की भांति इस अंक में हमने राजभाषा अधिनियम/नियम की जानकारी तो दी है किन्तु इससे पूर्व सहज, सरल भाषा में इसका सारांश भी प्रस्तुत किया है।

पत्रिका के इस अंक में हमने मलेरिया के संबंध में जानकारी को भारत के संदर्भ से जोड़ा है जो कि उपयोगी सिद्ध होगी।जैसा कि राजभाषा ई-पत्रिका की विषय-सूची के अंतर्गत“कर्मचारियों का पन्ना”शीर्षक में कर्मचारियों की रचनाओं के साथ-साथ संस्थान के किसी वैज्ञानिक से बातचीत को शामिल किया जाता है। इसी श्रृंखला में हमने उत्तराखंड लोक-संस्कृति की पहचान“काफल”को स्थान देते हुए प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही “संस्थान की गतिविधियां” शीर्षक के अंतर्गत इस छःमाही के दौरान होने वाली संस्थान की समग्र गतिविधियों को शामिल करने का प्रयास किया गया है जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, उपलब्धियां, संस्थान में मानसिक स्वस्थता कार्यक्रम, हिन्दी कार्यशाला, स्वच्छता संबंधी गतिविधियां एवं संस्थान में योग दिवस को स्थान दिया गया है। ई-पत्रिका के अंत में इस छःमाही में संस्थान से सेवा-निवृत्त एवं नव-नियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी जानकारी प्रस्तुत की गई है।

आशा है कि राजभाषा ई-पत्रिका के इस अंक में दी गई जानकारियां सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। इस संबंध में आपकी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आपके द्वारा भेजे गए विचारों एवं सुझावों के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपके सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करेंगी और आपके व हमारे बीच विचार-संप्रेषण का माध्यम बनेंगी।

डॉ. अनुप अन्वीकर

वर्ष 2023-24 के वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश

पत्रिका में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा अधिनियमों, नियमों की जानकारी ना देना पत्रिका के साथ अन्याय होगा। वस्तुत: कार्यालय के सभी कर्मियों या पत्रिका को पढ़ने वाले प्रत्येक कर्मचारी को निश्चित रुप से नियमों की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा रहती है। इसी के तहत ई-पत्रिका के प्रत्येक अंक में हम नियमावली के एक-एक नियम को देने का प्रयास तो करेंगे, साथ ही उसे कुछ हद तक सहज-सरल भाषा में भी प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। पत्रिका के इस अंक में हम वर्ष 2023-24 के वार्षिक कार्यक्रम से राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेशों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि यह निदेश अत्यंत सहज सरल भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं किन्तु इनको ज्यों का त्यों रखने से पूर्व इसकी संक्षिप्त जानकारी सरल भाषा में प्रदान की गई है।

इन निदेशों में महत्वपूर्ण यह है कि हमारे संस्थान यानि केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय से जारी होने वाले ज्ञापन, परिपत्र, आदेश, संविदा, निविदा, करार, विज्ञापन आदि हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ जारी किए जाने की जिम्मेदारी उस पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी और चूंकि हमारा कार्यालय अधिसूचित कार्यालयों की श्रेणी में आता है इसलिए सभी प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में किया जाना आवश्यक है, इसके साथ ही रजिस्टरों के शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होने चाहिए, सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर पते हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे जाएं। संस्थान प्रमुख की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में भी राजभाषा प्रगति की समीक्षा पर चर्चा करते हुए प्रशासनिक प्रमुख को हिन्दी कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा जाए। यही नहीं बैठकों के अतिरिक्त वैज्ञानिक/तकनीकी गोष्ठियों/संगोष्ठियों/परिचर्चाओं आदि में हिन्दी में शोधपत्र पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। बैठकों, गोष्ठियों के अतिरिक्त प्रशिक्षण सामग्री भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हो। कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, अनुवाद प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के अतिरिक्त मानक शब्दकोश वितरित करने के साथ ही प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाए। हिन्दी पत्रिका के प्रकाशन आदि द्वारा हिन्दी में कार्य करने का सकारात्मक वातावरण बनाया जाए। इसके साथ ही राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर राजभाषा से संबंधित समग्र जानकारी उपलब्ध होने का प्रचार किया जाए।

अत: राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेशों की शब्दश: या ज्यों की त्यों जानकारी भी ली जानी आवश्यक है जो निम्न प्रकार हैं :-

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रुप में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में जारी किए जाएं। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर

हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किए जाएं।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।

3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केन्द्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।

4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसार केन्द्र सरकार, ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारुपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जो कि आदेश विनिर्दिष्ट हों।

5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रुप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारुप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी। तदनुसार, केन्द्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा है कि वे सभी मैनुअल, संहिताएं एवं प्रक्रिया संबंधी असांविधिक साहित्य से संबंधित अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य अनुवाद के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में भेजें।

6. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रुप से अनुपालन हो तथा इस प्रयोजन से उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच बिंदु बनाए जाएं।

7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय हिन्दी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों पर पुन: बल दिया है। ये सुझाव हैं : सरकारी हिन्दी और सामाजिक हिन्दी के अंतर को कम करना, देश की दूसरी भाषाओं से हिन्दी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना, दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिन्दी में ग्रहण करना, दूसरी भारतीय भाषाओं से अच्छे शब्दों को खोजकर हिन्दी भाषा में जोड़ना, हिन्दी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना जिससे सरकारी भाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में बाधक नहीं, सहायक हो।

8. राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के सभी सचिवों/विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि जब वे प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करें तो वे उनमें हिन्दी में सरकारी काम-काज में हुई प्रगति की भी समीक्षा करें और अपने संगठन में राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करें। साथ ही, संयुक्त सचिव (प्रशासन)/संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को हिन्दी कार्यान्वयन का तथा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए।

9. कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरुप हो। मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों के हिन्दी पदाधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान वेतनमान व पदनाम दिए जाएं।

10. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न-पत्र द्विभाषी रुप से, हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए।

11. केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा सभी सेवाकालीन, विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं (अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं सहित) में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प दिया जाए। प्रश्न-पत्र अनिवार्यत: दोनों भाषाओं, हिन्दी और अंग्रेजी, में तैयार कराए जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां अभ्यर्थियों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में देने की अनुमति दी जाए।

12. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबंधित मंत्रालय/विभाग और कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित हों।

13. केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि हिन्दी संगोष्ठियों का आयोजन करें।

14. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यत: हिंदी माध्यम से हो। 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

15. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कोई भी गैर सरकारी संस्था केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्र पहले से ही देश भर में काम कर रहे हैं जो केन्द्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को

विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण नि:शुल्क देते हैं एवं राजभाषा पर विचार-विमर्श के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा संबंधित कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्याशालाएं आयोजित की जाती हैं। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर 'लीला' राजभाषा के माध्यम से अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अत: गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना उचित नहीं है।

16. विभिन्न कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यशाला की न्यूनतम अवधि एक कार्य दिवस की होगी। कार्यशाला में न्यूनतम दो तिहाई समय कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए।

17. केन्द्र सरकार के कार्यालयों की मांग पर केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

18. केन्द्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिन्दी टंककों व हिन्दी आशुलिपिकों से संबंधित निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिन्दी टंकक व हिन्दी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएं।

19. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा अनुवाद कार्य के लिए किया जा सकता है।

20. अनुवादकों को मानक शब्दकोश (अंग्रेजी-हिन्दी व हिन्दी-अंग्रेजी) तथा अन्य तकनीकी शब्दावलियों के रुप में सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

21. भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रुप से दिया जाता है ताकि सरकारी कामकाज में वे इसका प्रयोग कर सकें। तथापि, अधिकांश अधिकारी सेवा में आने के पश्चात सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग नहीं करते। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता। परिणामस्वरुप, सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता। केन्द्र सरकार के कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक

प्रयोग करें। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में गति आएगी।

22. केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करें।

23. केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय अपने दायित्वों से संबंधित विषयों से संबंधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

24. केन्द्र सरकार के कार्यालय अपने कार्यालय में हिन्दी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं। इन पत्रिकाओं में कार्यालय की सामान्य गतिविधियों तथा उस कार्यालय के कामकाज से संबंधित मौलिक आलेख प्रकाशित किए जाएं। साथ ही राजभाषा नीति के प्रमुख प्रावधानों का भी उल्लेख अवश्य हो। केन्द्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन पत्रिकाओं के ई-वर्जन तैयार करें और इन्हें राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म "ई-पत्रिका पुस्तकालय" पर अपलोड करें ताकि गृह-पत्रिकाएं पाठकों को सहज तरीके से प्राप्त हो सके।

25. यह देखा गया है कि अनेक विभागों द्वारा वेबसाइट पर या तो सूचना हिन्दी में नहीं दी जाती या कुछ मामलों में यह पूर्णतया हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। अत: वेबसाइट हिन्दी में विकसित और नियमित रुप से अद्यतित करवाएं।

26. राजभाषा विभाग द्वारा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हर वर्ष कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने के लिए 5 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षु कंप्यूटर पर हिन्दी में काम कर सकेंगे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

27. राजभाषा विभाग द्वारा आधुनिक ज्ञान/विज्ञान की विभिन्न विधाओं में मौलिक रुप से हिन्दी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने एवं राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राजभाषा गौरव पुरस्कार" दिए जाते हैं। राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट आदि, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा हिन्दी गृह पत्रिकाओं के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाते हैं। इन दोनों

पुरस्कार योजनाओं की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

28. राजभाषा विभाग ने अपने वेबसाइट पर विभिन्न संस्थाओं के लिंक उपलब्ध कराए हैं जिनके माध्यम से इन संस्थाओं की शब्दावली देखी जा सकती है। इस संबंध में यदि कार्यालय द्वारा कोई अपनी शब्दावली तैयार की गई है तो वे उसे राजभाषा विभाग से साझा करें ताकि अन्य कार्यालय भी लाभान्वित हो सकें।

29. राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर "ई-सरल हिन्दी वाक्यकोश" शीर्षक के अंतर्गत सामान्यत: अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले वाक्यों के हिन्दी अनुवाद दिए गए हैं जिनके प्रयोग से अधिकारी फाइलों पर सामान्य टिप्पणियां आसानी से हिन्दी में लिख सकते हैं।

30. अंतरराष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रुप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार कराकर रिकॉर्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।

राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत हिन्दी बोले जाने और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर संपूर्ण भारत को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है।

'क' क्षेत्र	**'ख' क्षेत्र**	**'ग' क्षेत्र**
बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, **दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र**	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	**क्षेत्र 'ग' में खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र जैसे :-** जम्मु कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, अरुणांचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तेलंगाना, आदि क्षेत्र।

मलेरिया : भारत के संदर्भ में

डॉ. अनुप अन्वीकर, निदेशक

भारत वैश्विक लक्ष्यों के अनुरुप वर्ष 2030 तक मलेरिया को समाप्त करने की दिशा में प्रयासरत है। कोविड-19 महामारी के बावजूद उन्मूलन की दिशा में प्रयास जारी रहे हैं। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में भारत द्वारा की गई प्रगति अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और हमारे देश के द्वारा मलेरिया रोग की समस्या हेतु किए गए प्रयासों को साक्ष्य के रुप में स्थापित करना नि:संदेह ही सुखद अनुभुति है। अनेक दशकों से मलेरिया देश में एक प्रमुख जन-स्वास्थ्य समस्या रही है और प्रतिवर्ष इससे ग्रसित रोगियों के कई मामले एवं होने वाली मृत्यु रिपोर्ट की जाती रही है। रोगवाहक नियंत्रण के द्वारा रोगियों का पता लगाकर एवं शीघ्र निदान एवं उपचार पर ध्यान केन्द्रित करके, भारत ने इस रोग के विरुद्ध अपनी जंग में इतिहास का तख्ता सफलतापूर्वक पलट कर रख दिया है।

मलेरिया एक वैश्विक समस्या है और इस रोग की समस्या को कम करने में भारत की सफलता अन्य देशों को निश्चित रुप से उन उपायों को कार्यान्वित करके उचित कदम उठाने की दिशा में प्रेरित कर सकती है। इससे संपूर्ण विश्व में मलेरिया उन्मूलन एवं लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की स्थिति को बेहतर बनाने के वैश्विक प्रयासों में योगदान मिल सकता है।

कोविड-19 महामारी के बावजूद, भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट (एचबीएचआई) पहल के तहत 11 देशों में से एक था जो कि महामारी के दौरान मलेरिया मामलों की संख्या में कमी का प्रमाण था। भारत ने हाल ही के वर्षों में मलेरिया के नियंत्रण एवं उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक मलेरिया के मामलों में 84 प्रतिशत की कमी (1.09 मिलियन से 0.17 मिलियन) हुई है। मौतों में भी 331 (2018) से 64 (2022) तक 80 प्रतिशत की कमी देखी गई। भारत द्वारा वर्ष 2016 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रुपरेखा (2016-2030) तैयार की गई, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन करना है, इसलिए संदर्भ वर्ष 2016 को आधार रेखा के रुप में उपयोग किया जाता है।

हालांकि मलेरिया रोग के मामलों की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट आई है फिर भी मलेरिया देश के भीतर विशेष रुप से वन क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2019 में कुल भारतीय आबादी का 6.6 प्रतिशत जो वन क्षेत्रों में निवास करती हैं, ने कुल मामलों का 21 प्रतिशत योगदान दिया है। यह आवश्यक है कि मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों में निरंतर निवेश किया जाए और मलेरिया स्थानिक क्षेत्रों में उठाए जाने वाले उपायों को बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाने और दूर-दराज क्षेत्रों तक जहां रोग की समस्या कहीं अधिक है, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को सुधारने की आवश्यकता है।

मलेरिया रोकथाम के लिए निवेश करना अत्यंत आवश्यक हे ताकि समुदायों एवं व्यक्तियों का भविष्य सुरक्षित रहे। मलेरिया का आर्थिक प्रभाव विशेष रुप से विकासशील देशों जैसे भारत में बहुत अधिक है। यह रोग उत्पादकता को कम कर देता है और व्यक्तियों को काम और शिक्षा से वंचित कर देता है, जिससे आय की क्षति होती है और आर्थिक विकास में कमी और निरक्षरता बढ़ती है। मलेरिया के उपचार पर अपनी जेब से किया गया खर्च परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक बोझ हो सकता है, जो उन्हें और अधिक गरीबी में धकेल सकता है।

मलेरिया के उन्मूलन द्वारा भारत अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगा और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। रोग की रोकथाम ही इसकी कुंजी है जो विशेष रुप से व्यक्तियों और समाज द्वारा रोग पर होने वाले खर्च में कमी लाएगी। मलेरिया को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सुपरिचित उपायों जिसमें मलेरिया मामले प्रबंधन, आंतरिक अवशिष्ट छिड़काव का प्रयोग करते हुए रोगवाहक नियंत्रण, दीर्घकालीन कीटनाशक मच्छरदानियां आदि शामिल हैं, बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं।

शीघ्र नैदानिक जांच (आरडीटी) से मलेरिया मामलों के प्रबंधन में क्रॉति आई है। इससे कुछ ही मिनटों में मलेरिया का पता लगाया जा सकता है और समय पर उपचार देकर मलेरिया रोग से उत्पन्न जटिलताओं एवं मृत्यु को भी रोका जा सकता है। भारत द्वारा वर्ष 2020 के दौरान करीब 20 मिलियन आरडीटी का प्रयोग किया गया। संसाधनहीन स्वास्थ्य देखभाल वाले परिवेश में, आरडीटी ऐसे स्थानों पर भी मलेरिया निदान करते हुए एक उपयोगी सहायक उपकरण (सपोर्ट टूल) सिद्ध हुआ है, जहां सूक्ष्मदर्शी द्वारा समय पर गुणवत्तापूर्ण निदान एक चुनौती बना हुआ है। साक्ष्य आधारित नीतियों में परिवर्तन के द्वारा हमारे देश में सुरक्षित एवं प्रभावी मलेरियारोधी दवाओं के साथ-साथ रोगवाहक नियंत्रण उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। विभिन्न परिवेशों में मलेरिया उन्मूलन हेतु नमूनों के साथ परिचालनात्मक अनुसंधान दृष्टिगोचर हुआ है।

मलेरिया उन्मूलन के लिए राजनैतिक प्रतिबद्धता में वृद्धि हुई है क्योंकि सरकारी स्तर पर सभी नेता यह सुनिश्चित कर रहे है कि रोग के विरुद्ध लड़ाई को राष्ट्रीय जन-स्वास्थ्य एजेंडे में प्राथमिकता दी जाए। भारत से मलेरिया को समाप्त करने के आंदोलन में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण केन्द्र सबसे आगे रहा है। सरकारी एजेंसियों, विकास भागीदारों, अनुसंधान संगठनों और डोमेन में अन्य लोगों द्वारा सहयोगात्मक कार्रवाई देश से रोग को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

देश से मलेरिया का साया धीरे-धीरे हटने के साथ भारत में इस रोग को समाप्त करने के निरंतर प्रयासों के प्रति प्रतिबद्ध होने का समय आ गया है। प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 भारत की मलेरिया रोग के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इस वर्ष का विषय “शून्य मलेरिया का समय-निवेश, नव्यारंभ और कार्यान्वयन” (टाईम टू डिलीवर जीरो मलेरिया-इन्वेस्ट, इनोवेट, इंप्लीमेंट) है। इस दिन भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए हमारी प्रतिबद्धता का नवीकरण करना महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके साथ ही यह

सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस घातक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के प्रयासों की ओर सतत ध्यान और इसके लिए संसाधन मिलते रहें।

निरंतर निवेश और सतत प्रयासों से हम निकट भविष्य में मलेरिया मुक्त भारत के मुकाम को हासिल कर सकते हैं। भारत में मलेरिया उन्मूलन में निवेश सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, गरीबी कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मलेरिया एक रोकथाम पूर्ण और उपचार योग्य रोग है जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं सहित कमजोर वर्ग को अनानुपातिक रुप से प्रभावित करता है और इसके उन्मूलन से देश के संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के साथ ही इससे स्वास्थ्य सुरक्षा की लागत में कमी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

विभिन्न चैंपियन एक साथ यह सुनिश्चित करने के लिए आगे आ रहे हैं कि मलेरिया उन्मूलन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाए, हम समुदाय के सदस्यों और राय निर्माताओं को शिक्षित और लामबंद कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकारी उन्मूलन कार्यक्रमों में विज्ञानीय प्रगति शामिल हो। इस रोग के उन्मूलन की वर्तमान गति का लाभ उठाकर हम मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

- **यह** Deccan Chronicle **समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पर आधारित है।**

कर्मचारियों का पन्ना

उत्तराखंड लोक-संस्कृति की पहचान "काफल"

एक ठंडी जलवायु वाला पहाड़ी प्रदेश 'उत्तराखंड' जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और लोक संस्कृति दोनों के लिए विख्यात है। आज अधिकतर उत्तराखंडवासी जो जीविका के लिए अपनी जन्म-भूमि को छोड़कर शहरों की तरफ विस्थापित हुए हैं, उन्हें यह लोक संस्कृति शहरों में रहने पर भी उत्तराखंडवासी होने का एहसास कराती है तथा उन्हें अपनी लोक परंपराओं से जोड़कर रखती है। आज दिल्ली, लखनउ, मुम्बई आदि शहरों में होने के बावजूद भी ये गंगा दशहरा, हरेला, उत्तरायणी, होली आदि प्रमुख लोक पर्वों को मनाते हैं। शहरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले उत्तराखंडी प्रवासी वहां तमाम लोक पर्वों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। शहरों और विदेशों में बस गए इन प्रवासियों को अपनी लोक-संस्कृति अपनी जन्मभूमि की तरफ सीधे खींच लाती है। ज्यादातर उत्तराखंडी प्रवासी आज भी गौहोत की दाल, पीनाउ की सब्जी, बाल-मिठाई, अरसा, रोड, स्वान, मंडुए की रोटी, भट्ट के डुबूक, अंगुर का अचार, घुघुत, आदि खाद्यों (डिस) के लिए शहरों, विदेशों में तरसते रहते हैं और अक्सर गर्मियों, सर्दियों की छुट्टियों या किसी भी छुट्टी के अवसर पर जरुर अपनी जन्मभूभि से मिलने चले आते हैं। आज उत्तराखंड में अधिकतर युवा पलायन कर चुके हैं और बड़े-बूढ़े और घर के पहरेदार के रुप में मात्र स्त्री-बच्चे ही यहां ज्यादातर रहते हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य के निवासियों की लोक संस्कृति भौगोलिक तथा प्राकृतिक दोनों ही रुप में जुड़ी हुई हैं। समस्त त्यौहार, रीति-रिवाज, नृत्य, गीत, बोली, पकवान, पहनावा, फसलें आदि इनसे जुड़ी हुई है, तथा समय-समय पर यह अपने लोगों को आकर्षित करती हैं।

उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहां समस्त देवी-देवताओं का निवास माना जाता है। हिमालय की वादियों के समीप का यह क्षेत्र चार धामों में से एक बदरी और केदार धाम जैसे पावन तीर्थ स्थल के कारण विश्व विख्यात हैं। यहां तमाम देवी-देवताओं, त्यौहारों, फसलों, खेत-खलिहानों, तीर्थ स्थलों आदि से जुड़ी अनेक लोकगाथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक का जिक्र मैं आप से करना चाहूंगा।

उत्तराखंड का फल है 'काफल', जिससे जुड़ी एक प्रसिद्ध लोककथा भी है। इस कथा को यहां कई लोकगीतों के द्वारा भी बताया गया है। 'काफल' इस पहाड़ी क्षेत्र का प्रसिद्ध फल है। काफल की खासियत है कि इसे बीजों के द्वारा उगाना नहीं पड़ता, बल्कि यह प्राकृतिक रुप से ही अपने आप उग जाता है। इसलिए ज्यादात्तर यह जंगलों में उगता है। यह एक ऐसा फल है जो समस्त प्रवासियों और पर्यटकों को सीधे उत्तराखंड खींच लाता है। दरअसल बात यह है कि यहां के अन्य फल और खाद्य सामग्री तो अन्य क्षेत्रों में पहुंचायी जा सकती है, लेकिन काफल ज्यादा देर तक रखने योग्य नहीं रहता। यही वजह है कि उत्तराखंड के अन्य फल जहां आसानी से दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं, वहीं काफल खाने के लिए स्वयं लोगों को देवभूमि में आना पड़ता है। उत्तराखंड का यह सुप्रसिद्ध लोकगीत 'बेडु पाको बारामासा, हो नरैणा काफल पाको चैता मेरि छैला' भी इस फल की इस संस्कृति से जुड़ी गहरी आत्मीयता को ज़ाहिर करता है। इस गीत में चैत में काफल के पकने का जिक्र किया गया है।

प्रसिद्ध कुमांउनी कवि ‘गुमानी जी” का एक लोकगीत है जिसमें काफल अपना दु:ख इस प्रकार व्यक्त कर रहा हैं कि हम स्वर्ग लोक में इंद्र देवता के खाने योग्य थे और अब भूलोक में आ गए और पृथ्वी पर भी इन पहाड़ों को ईश्वर ने हमारा स्थान बनाया है :

खाणा लायक इंद्र का, हम छियां भूलोक आई पणां।
पृथ्वी में लगा ये पहाड़, हमारी थाती रचा देव लै।
योई चित्त विचारी काफल सबै राता भया।

काफल से जुड़ी प्रसिद्ध एक लोकगाथा है। यह कहानी बहुत कम ही लोगों को पता है कि एक गांव में एक गरीब महिला और उसकी एक छोटी सी बेटी रहती थी। दोनों एक-दूसरे का जीने का सहारा थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वो अपना गुज़ारा करने की कोशिश करते थे। महिला गर्मियों के दिनों अर्थात चैत्र मास में काफल पक जाने पर जंगल से काफल तोड़ कर इकठ्ठा कर उसे बाज़ार में जाकर बेचती थी। इसलिए उनका गुज़ारा इन दिनों काफल पर निर्भर करता था। एक बार सुबह के वक्त महिला जंगल से टोकरी भर के काफल तोड़कर लाई और इसके साथ ही प्रतिदिन उसे अपने पालतू जानवरों के लिए चारा लाना था, उसे अपने खेतों में गुड़ाई हेतु जाना पड़ता था। महिला प्रतिदिन की तरह काफल बाहर आंगन में रखकर जंगल से चारा काटने और खेतों में कार्य करने चली गई। महिला ने अपनी बेटी से कहा “मैं जंगल से चारा काट कर आ रही हूं, तब तक तू इन काफलों की पहरेदारी करना। कहीं बानर (बंदर) झपट्टा मार कर मेरी मेहनत बेकार न कर दें और हां, तू भी इसे मत खाना, शाम को बाज़ार जाकर इसे बेचना है ताकि पैसों से जरुरत की चीजें खरीद सकें। तब बेटी ने भूख की लालसा देकर काफल खाने की इच्छा जाहिर की लेकिन मां ने सख्त शब्दों में बेटी को डांट दिया। मां की बात सुनकर मासूम बच्ची ने उन काफलों की पहरेदारी शुरु कर दी।

दोपहर में जब उसकी मां घर आई तो उसने देखा कि टोकरी में काफल का लगभग एक-तिहाई हिस्सा कम था। भूख-प्यास से व्याकुल मां जो सुबह से जंगल से मेहनत करके काफल तोड़ लाई। अब काफल कम देखकर आग बगूला हो गई। उसने देखा कि एक भी काफल का दाना आसपास नहीं था और न ही कुछ ऐसा सुराग जिससे बानर के आने का शक हो, तो वह समझ गई कि जरुर बेटी ने ही काफल खाए हैं। बेटी बेचारी भूख से जूझती हुई पहरेदारी करते-करते आंगन में ही सो गई थी। मां अब सोई हुई बेटी पर जोर-जोर से प्रहार करने लग गई। मासूम बेटी मों को नींद में भी “मैं नि चाख्यों” का उत्तर देने लग गई। बेटी ने नींद में ही मरे पिताजी की कसम भी खाई लेकिन ये सुनते ही मां और गुस्से में आ गई और मासूम सी उस बच्ची के सर पर जोर-जोर से मारने लग गई। थोड़ी देर में वह मासूम चेहरे वाला शरीर पार्थिव शरीर में परिवर्तित हो गया और मां भी थकी-हारी वहीं चिन्तन की मुद्रा में बैठे-बैठे ही सो गई। थोड़ी देर बाद उठकर जानवरों को दाना-पानी देने लगी। तभी आंगन पर रखी टोकरी पर उसकी नज़र फिर से पड़ी। उसने देखा कि फिर से उस टोकरी में सुबह के बराबर ही काफल लग रहे हैं और टोकरी पूरी काफलों से भरी लग रही है, अर्थात बेटी ने सच कहा था कि उसने काफल नहीं खाये थे।

अब थकी-हारी, मेहनती, गरीब महिला की ममता जाग उठी। उसे अपने किए पर अफसोस होने लगा। वह भागकर पास में पड़ी अपनी बेटी के समीप पहुंची और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेटी तो चल बसी थी। उसके पार्थिव शरीर को मां ने खूब हिलाया और जोर-जोर से कहने लगी "पुर पुतई पूर-पूर", 'चेली उठजा रे', और मां रातभर रोती बिलखती रही। सुबह होते-होते मां भी बेटी के सदमे में गुजर गई। इस तरह से करुण गाथा का दु:खद अंत हुआ।

कहा जाता है कि वह बेटी और मां ने इसके बाद से चिड़ियों के रुप में जन्म लिया और हर चैत मास में एक चिड़िया कहती है कि "काफल पाकौ मैं नि चाख्यों" अर्थात काफल पक गए है और मैंने नहीं चखे हैं। इसके बाद दूसरी चिड़िया कहती है कि 'पुर पुतई पूर पूर' अर्थात पूरे हैं बेटी पूरे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि काफल सुबह तो पूरे थे, फिर अगर किसी ने काफल खाए नहीं तो दिन में कम कैसे हुए? और फिर शाम को पुन: सुबह के बराबर कैसे लगने लगे। दरअसल तेज-चटक धूप के कारण काफल मुरझा गए थे, जिसके कारण काफल कम लग रहे थे और शाम को फिर ठंडा मौसम होने के कारण काफल अपने उसी रुप में आ गए।

उत्तराखंड का लोक फल "काफल" इसकी लोकगाथा तो आज आप सुन ही चुके हैं अब इसकी उपयोगिता से भी आपको परिचित कराता हूं। आयुर्वेद में काफल को भूख की अचूक दवा माना गया है। इसके अलावा मधुमेह रोगियों के लिए काफल रामबाण का काम करता है। विभिन्न शोधों के द्वारा इसमें एंटी-ऑक्सीडेटिव गुणों के होने की पुष्टि मिलती है जिससे हृदय एवं कैंसर रोग के होने की संभावना कम होती है।

राकेश जोशी
प्रवर श्रेणी लिपिक
एनआईएमआर, दिल्ली

संस्थान की गतिविधियां

• प्रशिक्षण कार्यक्रम

- डॉ. पी.के. सिंह, वैज्ञानिक-सी, क्षेत्रीय इकाई, रांची ने दिनांक 05.01.2023 को आई.पी.एच. सभागार, नामकुम में एसपीओ कार्यालय, एनसीवीबीडीसी, झारखंड द्वारा आयोजित फाइलेरिया, एडीएटीओटी कार्यक्रम हेतु राज्य वीबीडी परामर्शकों को प्रशिक्षण प्रदान किया।
- आईसीएमआर-एनआईएमआर की क्षेत्रीय इकाई, नडियाद (गुजरात) में करमसद मेडिकल कॉलेज, अदंद में एमडी छात्रों के लिए दिनांक 13.02.2023 से 17.02.2023 तक एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- संस्थान की क्षेत्रीय इकाई, नडियाद (गुजरात) द्वारा दिनांक 6 मार्च 2023 को एन.डी. देसाई मेडिकल कॉलेज के 50 एमबीबीएस छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- दिनांक 24.04.2023 से 26.04.2023 तक राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, दिल्ली में "मलेरिया उन्मूलन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संबंधित प्रशिक्षण में कंबोडिया, लाओपीबीआर, म्यंमार, वियतनाम एवं थाइलैंड देशों के 3-3 प्रतिभागी कुल 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- दिनांक 28 अप्रैल 2023 को डॉ. वंदना शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा), एनआईएमआर, दिल्ली द्वारा एनआईसीपीआर में आयोजित हिन्दी कार्यशाला में "तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली भरने संबंधी" विषय पर व्याख्यान दिया।
- आईसीएमआर-एनआईएमआर की क्षेत्रीय इकाई, चैन्नई द्वारा दिनांक 9 एवं 10 मई 2023 को जन-स्वास्थ्य एवं निवारणात्मक औषधि निदेशालय, तमिलनाडु सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का विषय था "एनॉफिलीज़ स्टीफेंसी की पहचान, प्रयोगशाला कॉलोनाजेशन एवं रख-रखाव"।
- जून माह के दौरान, संस्थान की डॉ. वाणी एच.सी., वैज्ञानिक-डी द्वारा डीएमओ, छत्तीसगढ़ हेतु एक दिवसीय ऑनलाईन कक्षा का आयोजन किया गया। रोग वाहक जन्य रोगों पर इस प्रशिक्षण का विषय "मलेरिया-चिकित्सीय लक्षण, निदान एवं प्रबंधन" था। संबंधित आयोजन आईसीएमआर-एनआईई द्वारा किया गया।
- दिनांक 1 जून 2023 को डॉ. वंदना शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने एनसीईआरटी में राजभाषा नीति विषय पर आयोजित कार्यशाला में व्याख्यान दिया।

- दिनांक 27 जून 2023 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट रिसर्च, नई दिल्ली में ऑनलाईन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका विषय “शहरी स्वास्थ्य आवश्यकताएं - शहरी परिवेश में स्वास्थ्य परिणाम। संबंधित कार्यशाला में डॉ. हिम्मत सिंह, वैज्ञानिक-ई ने जलवायु परिवर्तन एवं रोगवाहक जन्य रोगों पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया।

• उपलब्धियां

संस्थान के लिए गर्व की बात है कि संस्थान परिवार के निदेशक महोदय एवं वैज्ञानिकों को निम्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। निदेशक महोदय डॉ. अनुप अन्वीकर को थिरुवेननथापुरुम में दिनांक 19 से 21 मई 2023 तक आयोजित आईएसएमओसीडी (ISMOCD) के 16वें वार्षिक सम्मेलन में डॉ. पटनायक मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें मलेरिया अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया गया।

- डॉ. हिम्मत सिंह, वैज्ञानिक-ई ने दिनांक 15 से 17 फरवरी 2023 को गोवा में “रोगवाहक एवं रोगवाहक जन्य रोगों पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री विवेक सिंघल बॉयोटेक्नॉलाजी नेशनल अवार्ड प्राप्त किया।
- डॉ. अजीत कुमार मोहंति ने दिनांक 15 -17 फरवरी 2023 को रोगवाहक एवं रोगवाहक जन्य रोगों पर आयोजित 15वें सम्मेलन में ईएनवीयू युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 प्राप्त किया।
- दिनांक 15 -17 फरवरी 2023 को गोवा विश्वविद्यालय में रोगवाहकों एवं रोगवाहक जन्य रोगों पर 15वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय : “रोगवाहक जन्य रोग - उन्मूलन हेतु हाथ मिलाएं” था। इस सम्मेलन में बुनियादी से प्रयुक्त एवं रोगवाहक जन्य रोगों के सभी प्रचालनात्मक पहलुओं को शामिल किया गया। सम्मेलन में विभिन्न अनुसंधान संगठनों, फार्मास्युटिकल्स, उद्योगों एवं मुख्यत: समुदाय से छात्रों, शिक्षाविदों, व्यावसायिकों, वैज्ञानिकों को रोगवाहक जन्य रोगों के विरुद्ध जंग में हाथ मिलाकर कदम बढ़ाने की दिशा में मंच प्रदान किया गया।

• संस्थान में स्वास्थ्य सजगता संबंधी गतिविधियां

जैसा कि पिछले कुछ वर्षों से या यह कहें कि वर्ष 2014 से देश में स्वास्थ्य के प्रति सजगता निश्चित रुप से बढ़ी है। शिक्षित से लेकर जन-सामान्य द्वारा भी स्वास्थ्य को महत्व दिया जा रहा है। इसी क्रम में यदि कहें कि भारतीय योग पद्धति का भारत के साथ-साथ विश्व पटल पर भी प्रचार-प्रसार हुआ है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसे एक क्रांति का रुप तब प्राप्त हुआ, जब वर्ष 2014 से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रुप में मनाया जाने लगा। हमारा संस्थान एक विज्ञानीय संस्थान होने के नाते अपने कर्मचारियों के शारिरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग एवं सचेत है। इसका प्रमाण यह है कि संस्थान के निदेशक, डॉ. अनुप अन्वीकर के मार्ग निर्देशन में इसी छःमाही में अनेक गतिविधियों के साथ कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति सजगता पैदा करने के उद्देश्य से भी गतिविधियां आयोजित की गई जो निम्न प्रकार है।

(क) मानसिक स्वस्थता कार्यक्रम का आयोजन

भारतीय योग एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2023 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.30 बजे तक राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली के सभा कक्ष में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। संबंधित कार्यशाला में संस्थान के सभी वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्रोजैक्ट में कार्यरत कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों द्वारा ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड़ के माध्यम से भाग लिया गया। संबंधित कार्यशाला में श्री अमोल अदलक्खा, निदेशक, भारतीय योग एवं प्रबंधन संस्थान, वैस्ट जोन, दिल्ली को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यशाला के माध्यम से जीवन में योग एवं ध्यान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कुछ समय के लिए ध्यान सत्र का भी आयोजन किया गया।

(ख) संस्थान में योग दिवस

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्थान परिसर में दिनांक 21.06.2023 को पूर्वाह्न 9.00 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निदेशक महोदय डॉ. अनुप अन्वीकर के दिशा-निर्देशन में मनाया गया। इस अवसर पर डॉ. सतेन्द्र सिंह, पूर्व सचिव, संसदीय राजभाषा समिति एवं वर्तमान में उत्कर्ष योग केन्द्र के संस्थापक को

योग प्रशिक्षक के रुप में आमंत्रित किया गया था। डॉ. सिंह पिछले 25 वर्षों से विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों और संगठनों में आर्ट ऑफ लिविंग के तहत स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और योग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अतिथि प्राध्यापक रहें हैं। डॉ. सिंह उत्कर्ष योग मिशन के संस्थापक हैं। उन्हें विभिन्न संस्थानों और संगठनों से कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और आसन, प्राणायाम, एक्युप्रेशर और मुद्रा के माध्यम से विभिन्न रोगों के प्राकृतिक उपचार के बारे में भी जानकारी देने के साथ ही इस पर उनकी लोकप्रिय पुस्तक 'सहज उपचार' से भी अवगत कराया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय "वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग" था और इस आयोजन में संस्थान के वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कर्मचारियों एवं शोध छात्र, छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लोगो वाली "टी-शर्ट", जो विशेष रुप से तैयार की गई थी सभी प्रतिभागियों में वितरित की गई। यह आयोजन मुख्यत: एक दिन के लिए नहीं वरन् इस एक दिन के प्रशिक्षण द्वारा अपनी दिनचर्या में नियमित रुप से योग को स्थान देने पर आधारित था, जिससे नियमित योग के द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य लाभों को प्राप्त कर एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ समाज व स्वस्थ देश का निर्माण करना था।

इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉ वंदना शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) के स्वागत भाषण से हुई। तत्पश्चात् डॉ. नीलिमा मिश्रा, वैज्ञानिक-जी द्वारा योग एवं स्वास्थ्य पर संक्षिप्त परिचय दिया गया। आमंत्रित योग प्रशिक्षक द्वारा वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं को विभिन्न योग, आसनों के प्रदर्शन के साथ रोगमुक्त जीवन के लिए योग के महत्व के बारे में भी प्रकाश डाला गया।

इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन डॉ. नीलिमा मिश्रा, वैज्ञानिक-जी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

• हिन्दी कार्यशाला

संस्थान में राजभाषा हिन्दी में कामकाज के प्रति जागरुकता पैदा करने के प्रयोजन एवं राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही एक कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य से दिनांक 31 मार्च 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के सभी वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। संबंधित कार्यशाला में श्री राजेश श्रीवास्तव, उपनिदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला का विषय "राजभाषा हिन्दी में टिप्पण-प्रारुपण एवं टंकण के विविध आयाम" था।

कार्यशाला की शुरुआत करते हुए, सर्वप्रथम श्री राजेश जी श्रीवास्तव ने राजभाषा हिन्दी में सरकारी कामकाज किए जाने संबंधी विभिन्न नियमों, अधिनियमों पर संक्षिप्त जानकारी दी। इसके पश्चात् उन्होंने राजभाषा हिंदी में टिप्पण-प्रारुपण के विविध प्रकारों पर उदाहरणों के माध्यम से प्रकाश डाला। उन्होंने अपने व्याख्यान में सरल-सहज हिन्दी भाषा के प्रयोग पर बल दिया। तत्पश्चात् उन्होंने कार्मिकों के रोजमर्रा के कार्यालय संबंधी कार्यों से जुड़ी टिप्पणियों का अभ्यास करवाया एवं इन टिप्पणियों के लेखन में आने वाली कठिनाईयों के संबंध में ज्ञानवर्धक चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी युग में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि हम प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। वर्तमान में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना बहुत सहज हो गया है। यही कारण है कि हमें राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में टिप्पण के साथ प्रारुपण और कंप्युटर पर हिन्दी टंकण के माध्यम से राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना है और राजभाषा नियम, अधिनियम का अनुपालन करना है।।

इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने कंप्युटर पर हिंदी में कार्य को सुगम बनाने के लिए यूनिकोड समर्थित फोन्ट एवं माइक्रोसॉफ्ट इंडिक साफ्टवेयर के प्रयोग पर जानकारी दी। कंप्युटर पर हिन्दी टंकण के द्वारा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को निश्चय ही बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर उल्लेखित कार्यशाला बहुत रोचक एवं राजभाषा में सरकारी कामकाज किए जाने की मुहिम में सार्थक रही।

• स्वच्छता संबंधी गतिविधियां

- इस छ:माही के दौरान भी नियमानुसार संस्थान में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छता गतिविधियों के अंतर्गत संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों के सहयोग से प्रतिमाह विविध श्रमदान गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके साथ संस्थान कर्मियों में स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति जागरुकता पैदा करते हुए विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता संबंधी स्टिकर लगाए गए। प्रतिमाह आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के अंतर्गत सर्वप्रथम दिनांक 24.01.2023 को डॉ. ज्योतिदास, वैज्ञानिक-एफ, डॉ. के.सी. पाण्डेय, वैज्ञानिक-एफ, डॉ. अभिनव सिन्हा, वैज्ञानिक-ई, डॉ. प्रशांत मलिक, वैज्ञानिक-डी के नेतृत्व में संस्थान के कर्मचारियों के सहयोग से परिसर में एनिमल बिल्डिंग के अंदर व बाहर की साफ-सफाई की गई।

- संस्थान में दिनांक 22.02.2023 को डॉ. पी.के. अतुल, वैज्ञानिक-एफ एवं श्री राशिद परवेज, सदस्य-सचिव, श्रमदान गतिविधि डॉ. पी.के. भारती, वैज्ञानिक-ई, डॉ. विनीता सिंह, वैज्ञानिक-ई, डॉ. रामदास, वैज्ञानिक-डी एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा संस्थान परिसर एवं मुख्य अनुसंधान ब्लॉक के बेसमैंट एरिया में स्वच्छता एवं सफाई पर नियमित अनुवीक्षण एवं प्रबंधन के साथ-साथ श्रमदान गतिविधि आयोजित की गई।

- इसी क्रम में दिनांक 21.03.2023 को संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. अरविन्द नाथ, वैज्ञानिक-ई, डॉ. रितेष रांझा, वैज्ञानिक-सी, डॉ. सुचि त्यागी, वैज्ञानिक-सी और डॉ. डी.पी. सिन्हा, तकनीकि अधिकारी-बी के नेतृत्व में संस्थान के कर्मचारियों के सहयोग से परिसर के गेट संख्या-3 के पार्क के आस-पास सफाई की गई।

- दिनांक 19.04.2023 को श्रमदान गतिविधि कार्य योजना के सदस्य-सचिव श्री राशिद परवेज के द्वारा इस विषय पर जानकारी देने के साथ ही, कार्य योजना के अंतर्गत उपस्थित डॉ. हिम्मत सिंह, वैज्ञानिक-ई, श्री संजीव गुप्ता, तकनीकि अधिकारी-सी, श्रीमती कमला नेगी, तकनीकि अधिकारी-सी के नेतृत्व में विभिन्न कर्मचारियों के सहयोग से परिसर के गेट संख्या-1 के पार्क के आस-पास सफाई के लिए निरीक्षण किया गया एवं सफाई की गई।

- श्रमदान गतिविधि कार्य योजना के अंतर्गत दिनांक 22.05.2023 को श्री दिनेश सोनी, प्रशासन अधिकारी, श्री सैय्यद शमीम आदिल, तकनीकी अधिकारी-बी, श्रीमती वंदना कालिया, अनुभाग अधिकारी के नेतृत्व में संस्थान के कर्मचारियों के सहयोग से परिसर के बेसमेंट और पार्किंग

एरिया में साफ-सफाई की गई और बेसमेंट और पार्किंग एरिया में खाली डिब्बों और बिखरे हुए पेपरें का उठाकर उचित स्थान पर रखा गया।

- श्रमदान गतिविधि के अंतर्गत दिनांक 20.06.2023 को डॉ. प्रशान्त मलिक, वैज्ञानिक-डी, श्री राम सिंह तोमर, तकनीकी अधिकारी-सी, श्रीमती उर्वशी कालिया, अनुभाग अधिकारी के नेतृत्व में संस्थान के कर्मचारियों के सहयोग से परिसर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आस-पास सफाई की गई। संबंधित कार्ययोजना से पूर्व श्री सैय्यद आदिल शमीम द्वारा मौजूद सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया गया।

जनवरी-जून 2023 के दौरान संस्थान के सेवा-निवृत्त वैज्ञानिक, अधिकारी एवं कर्मचारी

आईसीएमआर-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान को जीवन-पर्यन्त अपनी सेवाएं प्रदान करने के बाद पूरे सम्मान के साथ सेवा-निवृत्ति प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद देकर उऋण नहीं हो सकते वरन् अपनी मेहनत,निष्ठा से संस्थान को विकास एवं प्रगति की ओर अग्रसर करने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उनके स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं करते हैं। संस्थान से सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के नाम निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	वैज्ञानिक/अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा-निवृत्ति की दिनांक
1	श्री रमेश चन्द	तकनीशियन-1	31.01.2023
2	श्री एच.के. यादव	बॉयलर ऑपरेटर	31.01.2023
3	श्रीमती अर्चना गुप्ता	लैब तकनीशियन	31.01.2023
4	श्री किशन सिंह	वाहन चालक	31.01.2023
5	श्री एन.एस. भाकुनी	प्रयोगशाला सहायक	28.02.2023
6	श्री शान्ति कुमार	अवर श्रेणी लिपिक	28.02.2023
7	श्री एस.पी.बरुआ	वाहन चालक	28.02.2023
8	श्री जगदीश चन्द्र	तकनीशियन-1	31.03.2023
9	श्री के. अर्जुन दास	एफएलए	30.04.2023
10	श्री भगवान दास	फील्ड वर्कर	30.04.2023
11	श्री राजेश कुमार सिंह	एफएलए	30.04.2023
12	श्री आर.के. श्रीवास्तव	कंप्युटर प्रोग्रामर	30.04.2023
13	श्री देवेश कुमार मिश्रा	फील्ड वर्कर	31.05.2023
14	श्री पूरन सिंह नेगी	दफ्तरी	31.05.2023
15	श्री बी.एम. हरिजन	सफाई कर्मचारी	31.05.2023
16	श्री अरुण गौड़	प्रवर श्रेणी लिपिक	31.05.2023
17	श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला	लैब तकनीशियन	30.06.2023
18	श्री डी.बी. भट्ट	तकनीशयन-1	30.06.2023
19	श्री आर.सी. जोशी	वाहन चालक	30.06.2023
20	श्री दिवाकर मेधी	कीट संग्राहक	30.06.2023
21	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी	लैब अटेंडेंट-1	30.06.2023
22	श्री एस.के. मिश्रा	वाहन चालक	30.06.2023
23	श्री अमलेश कुमार त्यागी	फील्ड वर्कर	30.06.2023
24	श्री ओम प्रकाश लाल	तकनीशियन-सी	30.06.2023

जनवरी-जून 2023 के दौरान संस्थान के नवनियुक्त वैज्ञानिक, अधिकारी एवं कर्मचारी

आईसीएमआर-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के विकास सोपानों के दौरान कई अधिकारी/कर्मचारी सेवा-निवृत्त होते हुए इसकी बागडोर नव-नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सौंपते गए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के आगमन पर संस्थान परिवार उनका हार्दिक स्वागत करता है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि संस्थान के वैज्ञानिक एवं निदेशक के रुप में नियुक्त डॉ. अनुप अन्वीकर अपने बौद्धिक ज्ञान, प्रतिभा, मेहनत एवं निष्ठा से संस्थान को उन्नति की ओर अग्रसर करने में अपना उल्लेखनीय योगदान प्रदान करेंगे।

क्र.सं.	**वैज्ञानिक/अधिकारी/कर्मचारी का नाम**	**पदनाम**	**संस्थान में कार्य ग्रहण करने की दिनांक**
1	डॉ. अनुप अन्वीकर	निदेशक	07.03.2023
2	डॉ. ऋचा सिंघल	वैज्ञानिक-सी	24.02.2023